

झारखण्ड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

**विषय:-** कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति।

झारखण्ड राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत लाने हेतु अनेक प्रयासों में एक प्रयास नये महाविद्यालयों की स्थापना से है, जिसके अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय एवं मॉडल महाविद्यालय की स्थापना की गई है। राज्य सरकार झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के विकास हेतु प्रयत्नशील है। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अन्तर्गत कुल छ: (06) नये महाविद्यालय, जिसमें एक (01) मॉडल महाविद्यालय, एक (01) महिला महाविद्यालय एवं चार (04) डिग्री महाविद्यालय यथा मॉडल महाविद्यालय, सरायकेला-खरसावाँ एवं महिला महाविद्यालय, सरायकेला-खरसावाँ तथा डिग्री महाविद्यालय क्रमशः जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, मझगाँव एवं खरसावाँ का पद सृजन संकल्प संख्या-34 दिनांक-10.01.2018 के द्वारा किया गया है। उक्त महाविद्यालय में आधारभूत संरचना की कार्रवाई की जा रही है।

(2). उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश संख्या-1956 दिनांक-07.09.2016 के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अन्तर्गत कुल 07 नये महाविद्यालय खोलने का सैद्धान्तिक सहमति दी गई है। 07 नए महाविद्यालयों में से 06 नए महाविद्यालयों का पद सृजन किया जा चुका है। शेष 01 डिग्री महाविद्यालय, जुगसलाई में पठन-पाठन सुचारू रूप से चलाने हेतु शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 21.02.2022 की बैठक में स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

डिग्री महाविद्यालय, जुगसलाई में पठन-पाठन सुचारू रूप से चलाने हेतु शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा संकाय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की गई है:-

डिग्री महाविद्यालय, जुगसलाई के लिए संकायवार, विषयवार, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की विवरणी:-

| क्र० सं० | संकाय | विषय             | पदनाम            | पदों की संख्या |
|----------|-------|------------------|------------------|----------------|
| 1.       | कला   | हिन्दी           | प्राचार्य        | 01             |
| 2.       |       | अंग्रेजी         | सहायक प्राध्यापक | 02             |
| 3.       |       | इतिहास           | सहायक प्राध्यापक | 01             |
| 4.       |       | राजनीतिक विज्ञान | सहायक प्राध्यापक | 01             |
| 5.       |       | भूगोल            | सहायक प्राध्यापक | 01             |
| 6.       |       | अर्थशास्त्र      | सहायक प्राध्यापक | 01             |
| 7.       |       | समाजशास्त्र      | सहायक प्राध्यापक | 01             |
| 8.       |       | गृह विज्ञान      | सहायक प्राध्यापक | 01             |
| 9.       |       |                  |                  |                |

|          |         |                 |                  |    |
|----------|---------|-----------------|------------------|----|
| 10       | TRL     | हो              | सहायक प्राध्यापक | 01 |
| 11       |         | संथाली          | सहायक प्राध्यापक | 01 |
| 12       | विज्ञान | भौतिकी          | सहायक प्राध्यापक | 01 |
| 13       |         | रसायन शास्त्र   | सहायक प्राध्यापक | 01 |
| 14       |         | गणित            | सहायक प्राध्यापक | 01 |
| 15       |         | जन्तु विज्ञान   | सहायक प्राध्यापक | 01 |
| 16       |         | वनस्पति विज्ञान | सहायक प्राध्यापक | 01 |
| 17       | वाणिज्य | वाणिज्य         | सहायक प्राध्यापक | 01 |
| कुल पद:- |         |                 |                  | 18 |

गेर शैक्षणिक पदों की विवरणी:-

| क्र० सं० | पदनाम                             | पदों की संखा |
|----------|-----------------------------------|--------------|
| 01.      | उच्च वर्गीय लिपिक                 | 01           |
| 02.      | लेखापाल                           | 01           |
| 03.      | सहायक पुस्तकाध्यक्ष               | 01           |
| 04.      | निम्नवर्गीय लिपिक                 | 02           |
| 05.      | क्लर्क-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर        | 01           |
| 06.      | भण्डारपाल                         | 01           |
| 07.      | चतुर्थ वर्गीय कर्मी (बाह्य स्रोत) | 04           |
| कुल पद:- |                                   | 11           |

(3). अतः कंडिका-2 के आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत एक (01) डिग्री महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नांकित पदों के सृजन का प्रस्ताव हैः-

| क्र० सं० | पदनाम                      | छठा/सातवां वेतनमान               | पदों की संखा |
|----------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1.       | प्राचार्य                  | 37400-67000 AGP- 10000 /Level-14 | 01           |
| 2.       | सहायक प्राध्यापक           | 15600-39100 AGP- 6000/Level-10   | 17           |
| 3.       | उच्च वर्गीय लिपिक          | 5200-20200 Grade Pay- 2400       | 01           |
| 4.       | सहायक पुस्तकाध्यक्ष        | 5200-20200 Grade Pay- 1900       | 01           |
| 5.       | निम्नवर्गीय लिपिक          | 5200-20200 Grade Pay- 1900       | 02           |
| 6.       | लेखापाल                    | 5200-20200 Grade Pay- 1900       | 01           |
| 7.       | क्लर्क-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर | 5200-20200 Grade Pay- 1900       | 01           |
| 8.       | भण्डारपाल                  | 5200-20200 Grade Pay- 1900       | 01           |
| 9.       | चतुर्थ वर्गीय कर्मी        | बाह्य स्रोत                      | 04           |
| कुल:-    |                            |                                  | 29           |

मंत्री परिषद

~ ~

- (क) प्राचार्य पद पर नियुक्त होने तक तत्काल विश्वविद्यालय द्वारा वरीय शिक्षक को रखा जाएगा। बाद में सीधी नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी। शैक्षणिक श्रेणी के सृजित पदों हेतु उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) के संकल्प संख्या-319, दिनांक 07.02.2019 द्वारा स्वीकृत Pay Level अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।
- (ख) सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के Statute के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा की जायेगी।
- (ग) तृतीय वर्ग कि सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के Statute के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा की जाएगी। गैर शैक्षणिक श्रेणी के सृजित पदों हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।
- (घ) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पदों की सेवा आउटसोर्स के आधार पर की जायेगी तथा न्यूनतम मासिक मानदेय श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर गणना की जाएगी। बाह्य श्रोत (Outsourcing) के पद स्वीकृत नहीं समझे जायेंगे अपितु बाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मी की संख्या समझी जायेगी।
- (ङ.) महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु तत्काल प्रत्येक विषय में एक शिक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर परिपत्र संख्या-4569/विविध दिनांक-05.07.2002 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए 01 वर्ष के लिए की जायेगी। तत्पश्चात् संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी।
- (4). प्रस्ताव पर दिनांक 14.09.2022 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-15 में स्वीकृति प्राप्त है।
- आदेश :- आदेश दिया जाता है की इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

                          
 (राहुल कुमार पुरवार)  
 सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 05/स्था०-21 /2017 (खण्ड) - 1640 / रांची, दिनांक:- 12/10/2022

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), डोरण्डा, राँची/ई-गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

                          
 (राहुल कुमार पुरवार)  
 सरकार के सचिव।

मुद्रित गजट

ज्ञापांक: 05/स्था०-२१/२०१७ (खण्ड) - १६४० / रांची, दिनांक:- १२/१०/२०२२

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१०/१०/२२  
(राहुल कुमार पुरवार)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 05/स्था०-२१/२०१७ (खण्ड) - १६४० / रांची, दिनांक:- १२/१०/२०२२

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखंड/विकास आयुक्त, झारखंड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखंड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग, झारखंड,/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, राँची एवं कुलसचिव, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१२/१०/२२  
(राहुल कुमार पुरवार)  
सरकार के सचिव।  
प्रतिलिपि